Web Copy of Court Katihar

Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
A.B.P.No. 1417/2025, C.A.1308/2023

Bibhash Ranjan Sharma VS. State of Bihar and Putul Kumari

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No. 1417/2025
Complaint case No. 1308/2023

1. बिभाष रंजन शर्मा पिता गुरूदेव प्रसाद शर्मा, उ0त0 39 वर्ष
निवासी ग्रामः– विशनीचक चांदपुर, थानाः– फलका,
जिलाः– कटिहार।..आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार।..अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री ......सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्रीः ....अमरेश कुमार देव।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

Date 16-04-2026 आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 23.12.2025 को उपरोक्त अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमरेश कुमार देव द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि परिवादिनी पुतुल कुमारी ने एक परिवाद पत्र संख्या– 1308/2023 विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार के न्यायालय में दाखिल कर कथन किया गया है कि परिवादिनी का विवाह अभियुक्त विभाष रंजन शर्मा के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 27.01.2022 को हुई थी। शादी के बाद परिवादिनी अपने ससुराल गयी तो वहां परिवादिनी के पति दहेज में पांच लाख रूपया मांगने लगे तथा दहेज की पूर्ति नहीं करने पर मारपीट कर घर से भगा दिये। परिवादिनी को बच्चा भी है जो मायके में है। पंचायती हुआ पर नहीं माना। तब परिवादिनी ने यह परिवाद पत्र अभियुक्तों के विरूद्ध दाखिल की।
3. अग्रिम जमानत आवेदन के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अमरेश कुमार देव एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह तथा परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवनाथ मंडल को सुना।
4. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक की ओर से इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कोई नियमित जमानत आवेदन अथवा अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। परिवाद पत्र में लगाया गया संपूर्ण आरोप असत्य है। आवेदक परिवादिनी का पति है तथा उसे सम्मानपूर्वक रखने के लिए तैयार है। आवेदक न्यायालय के शर्तों को मानने के लिए तैयार है। आवेदक स्थानीय जमानतदारों को न्यायालय की संतुष्टि के लिए उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाये।
5. विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह एवं परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवनाथ मंडल द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।
6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि परिवादिनी पुतुल कुमारी के द्वारा दाखिल परिवाद पत्र संख्या– 1308/2023 में परिवादिनी के शपथ

पर बयान एवं जांच साक्षियों के जांच साक्ष्य के आधार पर आवेदक एवं अन्य के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 498ए एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता पाकर अपराध का संज्ञान लिया गया है तथा उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत किया गया है। आवेदक पर आरोप है कि उसने परिवादिनी के साथ वर्ष 2022 में हुई थी, जिससे परिवादिनी को एक बच्चा है, परन्त कुछ दिन ठीक से रखने के बाद उससे पांच लाख रूपया दहेज की मांग करने लगा तथा मांग पूरा नहीं होने पर बच्चे के साथ दिनांक 13.06.2023 को परिवादिनी को घर से निकाल दिया। तब से परिवादिनी अपने बच्चे के साथ मायके में रह रही है। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक कथन किया गया है कि परिवादिनी को आवेदक भरण–पोषण हेतु 5,500/– रूपया महीना दे रहा है तथा साथ रखने के लिए तैयार है, परन्तु पक्षकारों के बीच सुलह हेतु मामले को मध्यस्थता केन्द्र भेजा गया था, जहां से प्रतिवेदन प्राप्त है कि उभय पक्षों के बीच मध्यस्थता असफल रहा है तथा परिवादिनी द्वारा मध्यस्थता केन्द्र में भरण–पोषण वाद संख्या– 310/2024 दाखिल करने तथा उक्त वाद को भी मध्यस्थता हेतु मध्यस्थता केन्द्र भेजने की बात कहा गया है।

7. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से विदित है कि इस मामले में उभय पक्षों के बीच मध्यस्थता असफल रहा है तथा आवेदक परिवादिनी एवं अपने बच्चे के प्रति अपने वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने के लिए सहमत नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध आवेदक के आचरण को ध्यान में रखते हुए उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 23.12.2025 को इस निर्देश के साथ निस्तारित (disposed off) किया जाता है कि आवेदक संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय में आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत आवेदन की याचना करें, साथ ही विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश से प्रभावित हुए बिना उक्त जमानत आवेदन पर विधि सम्मत कानून के अनुसार अधिमानतः उसी दिन आदेश पारित करेंगे। कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेंजे एवं अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।

Date of order	16-04-2026
Date of Reserving order	16-04-2026
Uploading date	16-04-2026
Uploaded by	Raj Roy (B.C.)

Web copy of Civil Court, Katihar